भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4137

मंगलवार, 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

4137. श्री जी. कुमार नायकः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार को पारम्परिक किराना दुकानों पर ई-कामर्स त्वरित वितरण प्लेटफार्मों के तीव्र विकास के प्रभाव विशेषकर मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा के संबंध में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख): यदि हां, तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और छोटे खुदरा व्यापारियों के बीच समान अवसर सृजित करते हुए निष्पक्ष व्यापार परिपाटियों को सुनिश्चित करने और लागत से कम कीमत पर मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग): क्या सरकार किराना दुकानों के हितों की रक्षा करने और पारस्परिक लाभ के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ उनके एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचे पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ): सरकार द्वारा किराना दुकानों को आधुनिक बनाने, उनके प्रचालन में सुधार लाने और विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बने रहने में उनकी सहायता करने के लिए प्रदान किए जा रहे सहायता तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): उत्पादों का मूल्य निर्धारण और उन पर छूट देना व्यावसायिक निर्णय हैं, जो बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं। हालांकि, किसी प्रभुत्व वाले उद्यम अथवा समूह द्वारा अनुचित अथवा भेदभावपूर्ण मूल्य तय करना (अनुचित रूप से कम मूल्य निर्धारण) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित है। उक्त अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा

आयोग (सीसीआई) प्रतिस्पर्धा-रोधी पद्धतियों से संबंधित मामलों का निर्णय करता है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पीड़ित पक्ष द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अनुचित रूप से कम मूल्य निर्धारण का विषय शामिल होता है। जब भी मौजूदा कानूनों की विसंगतियां और उल्लंघन की जानकारी सरकार के संज्ञान में लाई जाती है, उन पर कार्रवाई की जाती है।

इसके साथ ही, ई-कॉमर्स और खुदरा क्षेत्र संबंधी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में स्थानीय व्यावसायिक हितों को सुरक्षित रखने के सरकार के इरादे को दर्शाती है। ई-कॉमर्स संबंधी एफडीआई नीति का पैरा 5.2.15.2 [उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी दिनांक 26.12.2018 के प्रेस नोट 2 (2018 श्रृंखला) द्वारा यथासंशोधित], ई-कॉमर्स के मालसूची-आधारित मॉडल में एफडीआई पर रोक लगाता है, जहां वस्तुओं और सेवाओं की मालसूची पर ई-कॉमर्स कंपनी का स्वामित्व हो तथा सीधा उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा हो। स्थानीय व्यावसायिक हितों की रक्षा करने तथा बढ़ावा देने के लिए सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) संबंधी एफडीआई नीति यह अधिदेश देती है कि 51 प्रतिशत से अधिक के विदेशी निवेश के लिए, खरीदी गई वस्तुओं के मूल्य के 30 प्रतिशत की खरीद भारत से की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), ग्राम और कुटीर उद्योगों, कारीगरों और शिल्पकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार (एमबीआरटी) संबंधी एफडीआई नीति किसी क्षेत्र में एफडीआई के लाभों के परिणामस्वरूप उसी अनुपात में उत्पादन पूर्व और उत्पादन पश्चात् चरणों में निवेश में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनेक शर्तों का उल्लेख करती है। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों के अवसरवादी कब्जे अथवा अधिग्रहण को रोकने के लिए, प्रेस नोट 3 (2020 श्रृंखला) के जरिए एफडीआई नीति में संशोधन किए गए थे। इन संशोधनों के अनुसार, उस मामले में, जिसमें कंपनी ऐसे देश की है जिसकी भू-सीमाएं भारत से मिलती हैं अथवा भारत में निवेश करने वाला लाभार्थी स्वामी ऐसे देश में स्थित है अथवा ऐसे किसी देश का नागरिक है, तो निवेश केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत किया जा सकता है।

(ग) और (घ): सरकार, छोटे खुदरा व्यापारियों और पारंपरिक किराना स्टोरों के हितों की रक्षा, स्थानीय व्यवसाय के हितों की सुरक्षा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। निष्पक्ष व्यापार पद्धतियों और प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध कराने तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी पद्धतियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमों, नियमों और

नीतियों के रूप में विभिन्न उपाय किए गए हैं। ई-कॉमर्स क्षेत्र पर लागू कुछ अधिनियमों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; आयकर अधिनियम, 1961; कंपनी अधिनियम, 2013; प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 आदि शामिल हैं। एफडीआई नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 में ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से संबधित प्रावधान निहित हैं।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकने, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा बाजार में अन्य भागीदारों द्वारा व्यापार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया है। सीसीआई अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उद्यमों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों और प्रभुत्व का दुरुपयोग करने से संबंधित मामले देखता है।

ऊपर उल्लिखित पहले से मौजूद व्यापक विधायी फ्रेमवर्क के अलावा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) की अग्रगामी पहल भी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान से जुड़े सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी प्रोटोकॉल कैटेलागिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन, ऑर्डर प्रबंधन तथा ऑर्डर पूरा करने जैसे प्रचालनों को मानकीकृत करता है। इस प्रकार, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय, विशिष्ट प्लेटफॉर्म केंद्रित नीतियों द्वारा शासित होने की बजाय किसी भी ओएनडीसी अनुकूल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उन्हें नेटवर्क पर खोजे जाने और व्यवसाय करने के अनेक विकल्प उपलब्ध कराता है। यह ऐसे व्यापारियों द्वारा डिजिटल माध्यमों को आसानी से अपनाने को भी प्रोत्साहित करता है, जो वर्तमान में डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क पर नहीं हैं।

*****